न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण (R.A.S.)

वाद संख्या :–10/2019

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र हनुमान, जाति नाई, उम्र 65 वर्ष
2. सांवरमल पुत्र हनुमान, जाति नाई, उम्र 62 वर्ष
3. महावीर पुत्र हनुमान, जाति नाई, उम्र 60 वर्ष
4. बजरंगलाल पुत्र हनुमान, जाति नाई, उम्र 55 वर्ष

समस्त निवासी ग्राम बगड़ी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 4 ता 7

बनाम

1. मांगी देवी पुत्री नारायणराम पत्नि देबूराम, जाति नाई (मृतक वादीया)
2. बाबूलाल पुत्र रामदेव, उम्र 50 वर्ष
3. सुरेश पुत्र रामदेव, उम्र 45 वर्ष
4. पप्पूराम पुत्र रामदेव, उम्र 42 वर्ष

समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम बगड़ी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी सं0 1 ता 3

5. देबू उर्फ देवीलाल पुत्र गोविन्दराम (मृतक दौराने दावा)

5/1 मांगी देवी पत्नि देबू उर्फ देवीलाल (मृतका वादीया)
5/2 दीनदयाल पुत्र देबू उर्फ देवीलाल, उम्र 50 वर्ष
5/3 रामावतार पुत्र देबू उर्फ देवीलाल, उम्र 48 वर्ष
5/4 श्योप्रसाद पुत्र देबू उर्फ देवीलाल, उम्र 40 वर्ष
5/5 गजानन्द पुत्र देबू उर्फ देवीलाल, उम्र 38 वर्ष
5/6 गोकुल देवी पुत्री देबू उर्फ देवीलाल, उम्र 60 वर्ष
5/7 गीता देवी पुत्री उर्फ देवीलाल, उम्र 55 वर्ष
5/8 गायत्री देवी पुत्री देबू उर्फ देवीलाल, उम्र 50 वर्ष
5/9 साहूदेवी उर्फ सावित्री देवी पुत्री देबू उर्फ देवीलाल, उम्र 52 वर्ष
5/10 सीता देवी पुत्री देबू उर्फ देवीलाल, उम्र 48 वर्ष
5/11 सन्तोष देवी पुत्री देबू उर्फ देवीलाल, उम्र 45 वर्ष

समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम बगड़ी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

6. उपपंजीयक गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:05:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

(वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा)

प्रार्थना पत्र बाबत एकतरफा कार्यवाही दिनांक 26.08.2015 तथा एकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2017 को खारिज करवाने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांकः—16.12.2020

प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 4 ता 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 1 व 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण के विरुद्ध एक वाद पत्र मुकदमा सं0 101/2014 मांगी देवी बनाम बाबूलाल वगै0 न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24.12.2014 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 4 ता 7 के रुप में सम्मिलित किये गये तत्पश्चात् न्यायालय श्रीमान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलबी के आदेश फरमाये गये, जो सम्मन मिन प्रार्थीगण को कभी भी प्राप्त नहीं हुए परन्तु न्यायालय श्रीमान ने दिनांक 26.08.2015को समयावधि के आधार पर तामील की प्रजेमशन लेते हुए एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसमें मिन प्रार्थीगण का पता ग्राम नांगल गोविन्द दर्ज किया गया जबकि विवादित की विषयवस्तु और मिन प्रार्थीगण की रिहायश वाके ग्राम नांगल गोविन्द में नहीं होकर ग्राम बगड़ी में होने के कारण न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत तामील विधिसम्मत नहीं थी, उसके बावजूद एकतरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 06.06.2016 को वाके ग्राम नांगलगोविन्द कैम्प कोर्ट में प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि उनके विरुद्ध प्रकरण जारी है, जिसमें आपसी समझाईश और राजीनामें की बात न्याय आपके द्वार कैम्प में हुई। जिस पर मिन प्रार्थीगण ने राजीनामे के लिए समय चाहा और आगामी दिनांक 10.06.2016 न्यायालय द्वारा तारीख पेशी प्रदान कर दी गई। जिस पर मिन प्रार्थीगण संतुष्ट होकर अपने गांव बगड़ी चले गए और वादीया जोकि मिन प्रार्थीगण की सगी चाची थी, की अन्य पक्षकारों में बैठकर राजीनामे की बात हुई। जो पारिवारिक विवाद और सही—सही संतुष्टि नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाई। जिस पर परिवारजन और आस—पड़ौसियों ने राजीनामे का प्रयास जारी रखने का आसवासन दिया, जिससे आस्वत होकर मिन प्रार्थीगण मुगालते में रहे और न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं दे पाये। जिसका अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए वादीया मांगी देवी तथा उसके पुत्र/पुत्री प्रतिवादी सं0 8 के वारिस के रुप में तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 षडयंत्र पूर्वक बाला—बाला दिनांक 08.08.2016 को न्यायालय के समक्ष अधूरा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया। जिसकी जानकारी मिन प्रार्थीगण को कतई ही नहीं रही। वादीया ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुए एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी दिनांक 19.12.2016 को श्रीमान के समक्ष पेश किया, जिसमें मिन प्रार्थीगण की मां पतासी देवी पत्नि हनुमान जो कि प्रतिवादी सं0 [illegible] में मूल रुप से पक्षकार बनाई गई थी, को मृतक बताते हुए वारिस के [illegible] में मिन प्रार्थीगण को ही पक्षकार बताया जबकि संज्या देवी, नर्बदा [illegible] पुत्रियां भी उसकी विधिक वारिस थी परन्तु झूठा प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को मुगालते में रखने की गरज से पतासी देवी पत्नि हनुमान प्रतिवादी सं0 [illegible] का नाम हजफ करवाने का आदेश दिनांक 17.01.2017 को प्राप्त कर लिया। न्यायालय को वादीया तथा प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:05:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

सं0 1 ता 3 एवं देबू उर्फ देवीलाल के वारिस जो मूल रुप से वादीया के ही वारिस हैं, ने षडयंत्रपूर्वक न्यायालय को मुगालते में रखकर दिनांक 30.01.2017 को निर्णय एवं डिक्री अपने हक में प्राप्त कर लिया। जिससे मिन प्रार्थीगण एवं प्रतिवादीगण की माता पतासी देवी पत्नि हनुमान के हिस्से की खातेदारी विवादग्रस्त आराजी से हजफ किया जाकर वादीया मांगी देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया। मांगी देवी की मृत्यु होने के पश्चात् जरिये फौती नामान्तकरण पक्षकार अप्रार्थी 5/2 लगा0 5/11 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया। प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 4 ता 7 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 28.06.2015 तथा एकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2017 को खारिज किये जाने के आदेश फरमाकर मूल वाद में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित हैं, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि रजिस्टर्ड ए.डी. हेतु तामील में प्रार्थी का पता नांगल गोविन्द दर्ज किया गया जबकि प्रार्थी की रिहायश ग्राम बगड़ी में है, जो सही नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण के सम्मन हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. ग्राम बगड़ी के पते पर करवाई गई थी। चूंकि तलबी रजिस्टर्ड ए.डी. से की गई थी जो लौट कर नहीं आई। जिससे यह प्रतीत होता है कि सम्मन प्रार्थीगण को प्राप्त हुए हैं। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 06.06.2016 को प्रार्थीगण को उनके विरुद्ध जारी प्रकरण के विषय में जानकारी प्राप्त हुई तथा न्यायालय हाजा द्वारा आगामी पेशी दिनांक 10.06.2016 नियत की गई थी जिसकी प्रार्थीगण को जानकारी थी, जिसके बावजूद प्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय अभिमत में प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 4 ता 7 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 9 नियम 7 व 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:05:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

कन्हैयालाल बनाम मांगीदेवी

न्यायालय

केस संख्या 10/2019

प्रा०पत्र 09R7 व 13

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22.9.20	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 27.10.20 को पेश हो।	
	27/10/20	प्रीसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 03/12/20 को पेश हो।	
	03/12/20	वकील प्रार्थी उप० बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन। आदेश दिनांक 16/12/20 को पेश हो।	
	16/12/20	वकील प्रार्थी प्रतिवादी उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रा०पत्र 09R7 व 13 CPC का खारिज किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:05:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner